<u>**पंजीकृत डाक द्वारा**</u>

भा.कृ.अ.प.-भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान
लायब्रेरी एवेन्यू, नई दिल्ली-110012

मि.सं.39(58)/2017/कार्य **दिनांक 05 मई, 2017**

सेवा में

मै.

विषयः- इस संस्थान के परिसर में स्थित आवासीय परिसर तथा कृषि निकेतन, पश्चिम विहार, नई दिल्ली स्थित इस संस्थान के आवासीय परिसर में बने ओवरहैड एवं भूमिगत पानी की टंकियों तथा रसोई घर में लगी लॉफ्ट टंकियों के वार्षिक सफाई (वर्ष में दो बार) के कार्य के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त कार्य के लिए संलग्न अनुसूची (परिशिष्ट-। एवं ।।) में वर्णित मदों के लिए अपनी न्यूनतम दरें उद्धृत करें तथा अपनी दरें उद्धृत करते समय, निम्नलिखित नियम व शर्तों को ध्यान में अवश्य रखें ः-

1. कार्य, मदों में निर्दिष्ट विवरणानुसार ही किया जाना चाहिए । यह कार्य वर्ष भर में दो बार किया जाएगा एवं प्रत्येक बार कार्य एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर समाप्त हो जाना चाहिए । कार्य करतें समय **के.लो.नि.वि.** द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन करें ।

2. निविदाएँ सील बन्द लिफाफे में दिनांक <u>**30.5.201**</u>7 को <u>**दोपहर 02.00**</u> बजे तक इस संस्थान मे अवश्य पहुँच जानी चाहिए । निविदाएं उसी दिन <u>**दोपहर 02.30**</u> बजें खोली जाएंगी । नियम तिथि व समय के बाद प्राप्त होने वाली विविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा । लिफाफे के उपर कार्य का नाम और मिसिल संख्या अवश्यलिखा होना चाहिए । निविदाएं इस संस्थान के प्रशासनिक-सह-प्रशिक्षण खंड के प्रथम तल पर रखे निविदा बक्से में डाली जा सकती है ।

3. निविदा में की गई किसी भी प्रकार की कटिंग/ओवरराईटिंग पर निविदाकार के अद्यहस्ताक्षर होने चाहिए तथा निविदाकार द्वारा उद्धत की गई दर, पूरे कार्य के लिए होनी चाहिए, जिसमें माल, परिवहन,श्रम तथा अन्य जरूरी इंतजाम शामिल हैं ।

4. किसी भी प्रकार के कर, रॉयल्टीज इत्यादि का भुगतान निविदाकार/ठेकेदार के द्वारा किया जाएगा तथा उद्धत की गई दरें, अंकों तथा शब्दों, दोनों में होनी चाहिए ।

5. यदि ठेकेदार, ठेके की नियम व शर्तें पूरा नही करता है, यानि कार्य पूरा करने में देरी, प्रगति अनाए नही रखता अथवा कार्य सही नहीं करता इत्यादि तो, नियत समय पूरा करने में देरी के बाद ठेकेदार को प्रति सप्ताह करार की गई राशि का 1 प्रतिशत की दर से जुर्माना अदा करना पडेगा, जिसकी अधिकतम सीमा करार की गई राशि का 10 प्रतिशत होगी । यदि कार्य नियत समय के एक माह बाद तक भी पूरा नहीं किया जाता है तो निदेशक, भा.कृ.सा.अ.सं. के पास यह अधिकार होगा कि ठेका समाप्त कर, बचे हुए कार्य को किसी अन्य ठेकेदार से पूरा करा ले, जिसकी लागत दोषी ठेकेदार को देनी होगी । दोषी ठेकेदार के द्वारा जमा की गई धरोहर/प्रतिभूति राशि को जब्त कर लिया जाएगा तथा दोषी ठेकेदार को कोई भी भुगतान नहीं किया जाएगा ।

6. निविदा के साथ <u>**रू.3,000.00 (रूपये तीन हजार मात्र)**</u> की धरोहर राशि निदेशक, भा.कृ.सा.अ.सं., नई दिल्ली के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट /पे आर्डर के रूप में जमा करानी होगी, जिसके बिना किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा । सफल निविदाकार को करार की गई राशि का 10 प्रतिशत प्रतिभूति राशि के रूप में (कार्य शुरू करने से पूर्व) निदेशक, भा.कृ.सा.अ.सं., नई दिल्ली के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप में अथावा कैशियर, भा.कृ.सा.अ.सं. के पास नकद जमा करानी होगी । यह प्रतिभूति राशि कार्य सफलतापूर्वक समाप्त होने के बाद वापिस कर दी जाएगी

7. दरें, निविदाएं खुलने की तिथि से 90 दिनों के लिए वैद्य मानी जाएंगी तथा ठेके की नियम व शर्तों को न मानने की दशा में निविदा को अस्वीकार किया जा सकता है । अनुसूचि में वर्णित की गई मात्रा अनुमानित है, जोकि बाद में बढ या घट सकती है ।

8. निदेशक, भा.कृ.सा.अ.सं. के पास यह अधिकार होगा कि वह किसी भी या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताएं निरस्त कर सकते है ।

9. ठेकेदार/फर्म को ऐसे कम से कम तीन उक्त कार्य करने का अनुभव अवश्य होना चाहिये । यदि ठेकेदार/फर्म ने ऐसा कार्य किसी भी सरकारी कार्यालय में किया है तो उनका वर्णन निविदा में अवश्य दें ।

10. कार्य के दौरान इस्तेमाल किये जाने वाला माल आई.एस.आई चिन्हित तथा उच्च स्तर का होना चाहिए । कार्य करने के लिए आवश्यक औजार तथा स्थिर यंत्रों का इंतजाम करनें की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, जिसके लिए अलग से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा तथा कार्य के दौरान केवल प्रशिक्षित एवं अनुभवी व्यक्तियों को ही लगाया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि मानक तरीके अपनाए जा रह है ।

11. कार्य के दौरान संस्थान के सामान्य कार्य-समय पर कोई प्रभाव नहीं पडना चाहिए और यदि ऐसा संभव न हो तो कार्य संस्थान के सामान्य कार्य-समय के बाद या अवकाश के दिनों में किया जाए तथा कार्य के दौरान किसी भी व्यक्ति, मशीन और भवन को होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा होने वाले नुकसान की भरपाई ठेकेदार को करनी होगी ।

12. कार्य से इस संस्थान के प्राधिकारियों की पूर्ण संतुष्टि होने पर ही भुगतान किया जाएगा तथा बिल में से 2 प्रतिशत की दर से आयकर की कटौती कर ली जाएगी ।

13. कार्य के दौरान या कार्य पूरा होने के बाद ठेकेदार/फर्म की लापरवाही के कारण किसी भी घटना के लिए उत्तरदायी एकमात्र ठेकेदार/फर्म की होगी ।

भवदीय,

(संतोष कुमार सिंह)
मुख्य तकनीकी अधिकारी (अभि.)

अनुलग्नक :- <u>उक्त वर्णित</u> ।

परिशिष्ट-।

भा.कृ.अ.प.-भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान
लाइब्रेरी एवेन्यु, पूसा, नई दिल्ली -12

मि.सं.39(58)/2017/कार्य   दिनांक 5 मई, 2017

(तकनीकी एंव अन्य सूचना)

1. फर्म/ठेकेदार का नाम एवं पता	:	
2. क्या रू.3,000.00 की धरोहर राशि जमा की गई है ?	:	हॉं / नहीं
यदि हॉं तो उसका विवरण	:	डी.डी. संख्या : दिनांक :
3. क्या फर्म/ठेकेदार के.लो.नि.वि./लो.नि.वि./दि.न.नि. दि.ज.बो./दि.वि.प्रा. इत्यादि के साथ पंजीकृत है ।	:	हॉं / नहीं
यदि है तो पंजीकरण संख्या	:	
4. सेवाकर पंजीकरण संख्या	:	
5. बिक्री कर/वैट पंजीकरण संख्या	:	
6. टिन/टैन संख्या	:	
7. स्थायी खाता संख्या	:	
8. वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 का कुल टर्न ओवर	:	
9. फर्म/ठेकेदार का स्तर । प्रोपराइटरी / लिमिटेड	:	
10. क्या फर्म/ठेकेदार ने इस तरह के कार्य सरकारी/अर्द्धसरकारी इत्यादि कार्यालय में किए हैं ।	:	हॉं / नहीं
11. अन्य सूचना, यदि कोई है तो	:	

(उपरोक्त सभी सूचनाओं की पुष्टि हेतु आवश्यक दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित फोटो प्रतियां अवश्य संलग्न करें)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मेरे द्वारा दी गई सूचना सही है और इस निविदा की नियम एवं शर्तें मुझे स्वीकार्य हैं ।

हस्ताक्षर ....

नाम ....

पता ....

....

टेलिफोन संख्या ....

(रबर मोहर के साथ)

परिशिष्ट ।।

भा.कृ.अ.प.-भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान
लायब्रेरी एवेन्यू, पूसा, नई दिल्ली-110012

मि.सं.39(58)/-2017/कार्य

मदों की अनुसूचि (दर व रकम के साथ)
SCHEDULE OF ITEMS (WITH RATES & AMOUNT)

इस संस्थान के परिसर में स्थित आवासीय परिसर तथा कृषि निकेतन, पश्चिम विहार, नई दिल्ली स्थित इस संस्थान के आवासीय परिसर में बने ओवरहैड एवं भूमिगत पानी की टंकियों तथा रसोई घर में लगी लॉफ्ट टंकियों के वार्षिक सफाई (वर्ष में दो बार) के कार्य के सम्बन्ध में ।

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	मात्रा	एकक	आवृत्ति	छमाही दर (रू. में)	कुल रकम (रू. में)
1.	**Cleaning & Chemical Treatment of Under Ground & Overheads Water Storage Tanks by following process :-** a. **Dewatering & Silt Clearance.** b. **Mechanical Scrubbing including Sludge Clearance.** c. **Pressure Washing of the Wall.** d. **Chemical Application i.e. Application of Chemoline equivalent Compound @ 70 Gms./Sqm.** e. **Ultraviolet Treatment, all Complete as per Direction of Engineer–in–Charge.**	**1891**	**Sq. Mtr.**	छमाही		
2.	**Dewatering / Desilting / Cleaning with Chemical Treatment of 275 Litres capacity Loft Water Storage Tanks completely in all respect.**	**107**	**Nos.**	छमाही		
योग						
+ सेवा कर/वैट, इत्यादि, यदि कोई है तो						
कुल योग (वर्ष में दो बार के लिए)						
फर्म द्वारा जमा कराई गई रू 3000.00 धरोहर राशि का विवरण						

(रूपये मात्र)

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर